

अचल सम्पत्ति की विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आरित्तयो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आरित्तयो के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। सर्व-साधारण को और विशेष रूप से ऋणी/जमानतदार को विशेषतः यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया/प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का अधिग्रहण भौतिक/सांकेतिक रूप से बैंक ऑफ इंडिया-प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित ऋणी/जमानतदार से बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार की बकाया ऋण राशि की वसूली हेतु दिनांक 28.07.2026 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य, अग्रिम राशि धरोहर राशि संबंधित सम्पत्ति के आगे नीचे दी गई तालिका में वर्णित है। धरोहर राशि जमा कराने की तिथि 19.06.2026 प्रातः 10.00 बजे से अंतिम तिथि 28.07.2026 सायं 5.00 बजे तक है।

शाखा कार्यालय	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(ए) 13(2) नोटिस की दिनांक (बी) बकाया ऋण राशि दिनांक तक (सी) कब्जा दिनांक (डी) कब्जे का प्रतीक प्रतिकात्मक/भौतिक/चरनात्मक	आरक्षित मूल्य (रूपये लाखों में)	ई-नीलामी की दिनांक व समय	प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात भार का विवरण
भीलवाड़ा शाखा सम्पर्क: 7742214991	प्लॉट नंबर पी-184, आज़ाद नगर, महाप्रज्ञ सर्कल के पास, भीलवाड़ा (राजस्थान) - 311001 में स्थित जो श्रीमती भगवती शर्मा पत्नी नारायण लाल शर्मा और श्री नारायण लाल शर्मा पुत्र रतन लाल शर्मा, पता- पी-184, आज़ाद नगर, महाप्रज्ञ सर्कल के पास, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान- 311001	(ए) 29-08-2025 (बी) रूपये 19.38 लाख + अप्रभारित ब्याज व प्रभार (सी) 11.11.2025 (डी) सांकेतिक कब्जा	रूपये 48,16,495/- रूपये 4,81,650/- रूपये 10,000/-	28.07.2026 प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
शास्त्री सर्किल शाखा सम्पर्क: 9414779617	1. श्री हेमंत शर्मा पुत्र अशोक शर्मा (सह-ऋणी और मृतक ऋणी श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री राधे श्याम शर्मा के कानूनी वारिस); फ्लैट नंबर सी-173, दूसरी मंजिल, शारदा एवरग्रीन पार्क, पांसल, भीलवाड़ा, राजस्थान-311001, 2. श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी अशोक शर्मा (सह-ऋणी और मृतक ऋणी श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री राधे श्याम शर्मा की कानूनी वारिस); फ्लैट नंबर सी-173, दूसरी मंजिल, शारदा एवरग्रीन पार्क, पांसल, भीलवाड़ा, राजस्थान-311001, 3. श्रीमती रागिनी शर्मा पुत्री अशोक शर्मा (मृतक ऋणी श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री राधे श्याम शर्मा की कानूनी वारिस); श्री दूंगरगढ़, मस्जिद के पास वाली गली, बीकानेर, राजस्थान-331803	29.08.2025 रूपये 19.15 लाख + अप्रभारित ब्याज व प्रभार 13.11.2025 भौतिक कब्जा	रूपये 18,06,300/- रूपये 1,80,630/- रूपये 10,000/-	28.07.2026 प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिए गए ई-नीलामी प्लेटफार्म (पीएसबी एलायंस) की वेबसाइट अर्थात् (1) https://baanknet.com (2) www.bankofindia.bank.in पर देखें।		निरीक्षण की दिनांक: 21.07.2026			
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अधीन विक्रय की 30 दिवस की वैधानिक सूचना एतद्वारा ऋणी/जमानतियों एवं बंधककर्ता को नीलामी तिथि से पूर्व उक्त वर्णित बकाया राशि मय ब्याज एवं खर्चों को भुगतान करने हेतु नोटिस दिया जाता है जिसके अभाव में उक्त सम्पत्ति बकाया राशि की वसूली हेतु विक्रय कर दी जावेगी तथा बकाया राशि मय ब्याज व खर्चों के वसूली की जावेगी।		निरीक्षण की दिनांक: 21.07.2026			
दिनांक: 20/06/2026	स्थान:- भीलवाड़ा	प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया			